प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 01.02.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-थाना छजलैट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुये प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार कर, चोरी का ट्रेक्टर-ट्राली बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2025 की रात्रि में ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो जाने के सम्बन्ध में वादी श्री धीरज पुत्र रोहतास निवासी ग्राम लदावली थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद की लिखित तहरीर पर थाना छजलैट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति के विरूद पंजीकृत हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी कांठ, मुरादाबाद के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना छजलैट पर गठित पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में चोरी की घटना का अनावरण करते हुये प्रकाश में आये अभियुक्त **हरिओम उर्फ भूरा पुत्र पुन्नी लाल निवासी मौहल्ला चमरयान शिव मंदिर के पास थाना कैमरी जनपद रामपुर** को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी की ट्रैक्टर ट्राली बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

हरिओम उर्फ भूरा पुत्र पुन्नी लाल निवासी मौहल्ला चमरयान शिव मंदिर के पास थाना कैमरी जनपद रामपुर

बरामदगी का विवरणः-

मेहन्द्रा 265 DI रंग लाल मय ट्राली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0-199/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना भोट जनपद रामपुर

मु0अ0सं0 22/2025 धारा 303(2),317 (2) बीएनएस थाना छजलैट, मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 लाजपत सिंह

2-उ0नि0 ताहिर थाना

3-उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 कुलदीप त्यागी व का0 अमित कुमार थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद।

2- थाना बिलारी पुलिस द्वारा, बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.01.2025 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-44/2025 धारा -137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व धारा 4 (2) पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई । उक्त के क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त उपदेश उर्फ नन्हे पुत्र कुंवरपाल नि0 ग्राम हाथीपुर बहाउद्दीन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

उपदेश उर्फ नन्हे पुत्र कुंवरपाल नि0 ग्राम हाथीपुर बहाउद्दीन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-44/2025 धारा -137 (2), 65(1) बीएनएस व धारा 4 (2) पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 कुलदीप कुमार

उ0नि0 सुरेशचन्द्र

का0 अजय मलिक

3-थाना मझोला पुलिस द्वारा चरस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01.02.2025 को थाना मझोला पुलिस द्वारा अभियुक्त बिलाल पुत्र परवेज निवासी मियां कॉलोनी जयंतीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को 460 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मझोला पर मु0अ0सं0-78/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

बिलाल पुत्र परवेज निवासी मियां कॉलोनी जयंतीपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

460 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 प्रबोध कुमार

हे0का0 अमित चौधरी

का0 राहुल कुमार

4-थाना नागफनी व थाना कांठ पुलिस द्वारा 02 वारंटी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना नागफनी पुलिस द्वारा वारंटी आदिल पुत्र नासिर नि0 नवाबपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 –1326 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना थाना कांठ पुलिस द्वारा वारंटी गौतम कुमार पुत्र अनिल कुमार नि0 मौ0 घोसीपुरा कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित अ0सं0 66/24 धारा 60 आबकारी एक्ट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

थाना नागफनी पुलिस द्वारा-

वारंटी आदिल पुत्र नासिर नि0 नवाबपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 –1326 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

थाना कांठ पुलिस द्वारा-

गौतम कुमार पुत्र अनिल कुमार नि0 मौ0 घोसीपुरा कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित अ0सं0 66/24 धारा 60 आबकारी एक्ट

5-जनपदीय पुलिस द्वारा 08 अभियुक्त को शांति व्यवस्था भंग करने में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 31.01.2025 को थाना जनपदीय पुलिस द्वारा 08 अभियुक्त को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

6-थाना काँठ व एसओजी टीम द्वारा अपहृत हुए मासूम बच्चे को किया गया सकुशल बरामद तथा संलिप्त अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2025 को वादिनी श्रीमती सोनी परवीन पत्नी स्व0 सलमान निवासी नई बस्ती चाँद मस्जिद के पास थाना धामपुर जनपद बिजनौर की लिखित तहरीर जिसमें अपने पुत्र मौ0 अर्श उम्र डेढ़ वर्ष को दो अज्ञात वाइक सवार द्वारा अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 26/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

अपहृत बच्चे की बरामदगी व अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी काँठ के नेतृत्व एवं पर्येवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 01.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृत मौ0 अर्श उम्र डेढ़ वर्ष को ग्राम पैगम्बरपुर सुखवासीलाल के पास सडक किनारे कच्चे रास्ते के पास से बरामद करते हुए अभियुक्त 1-अनिल पुत्र गुलाब सिह निवासी ग्राम साहुपुर मिलक थाना धनौरा जिला अमरोहा, 2-सोनू उर्फ रोबिन सन गिल पुत्र यूनथन निवासी ग्राम रतनपुर खुर्द थाना नौगावा सादात जिला अमरोहा, 3-बृजेश पुत्र महेन्द्र सिह निवासी ग्राम अहरोला तेजवन थाना गजरौला जिला अमरोहा 4-श्री मति सोनी परवीन पत्नी सलमान निवासी चाँद मस्जिद के पास नई बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 143(4)/97/61/217 बीएऩएस व धारा 81 बालको का संरक्षण अधिनियम की वृद्धि की गयी है। अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अनिल पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम साहुपुर मिलक थाना धनौरा जिला अमरोहा
2-सोनू उर्फ रोबिन सन गिल पुत्र यूनथन निवासी ग्राम रतनपुर खुर्द थाना नौगावा सादात जिला अमरोहा
3-बृजेश पुत्र महेन्द्र सिह निवासी ग्राम अहरोला तेजवन थाना गजरौला जिला अमरोहा
4-श्री मति सोनी परवीन पत्नी सलमान निवासी चाँद मस्जिद के पास नई बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर

बरामदगीः-

चार अदद मोबाइल फोन, 5500/- रू0 नगद, एक मोटर साइकिल सुपर स्पलेण्डर UP 23 S 7852

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त सोनू उर्फ रोबिनसन गिल, अनिल कुमार ने बताया कि अभियुक्तगण ने बच्चे को इसकी माँ श्रीमति सोनी परवीन पत्नी स्व0 सलमान निवासी चाँद मस्जिद के पास नई बस्ती कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर जो इनके साथ ही पकड़ी गयी है, से पचास हजार रूपये मे खरीदा है। आज हम इस बच्चे को बृजेश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अहरोला तेजवन थाना गजरौला जिला अमरोहा को 70 हजार रूपये मे बेचने के लिये आये थे, क्योकि बृजेश ने हमे पहले 15 हजार रूपये एडवासं दे रखे है तथा आज भी पाँच हजार रूपये दिये है जो सोनू उर्फ रोबिनसन गिल की जेब से मिले है एवं अभि0 बृजेश ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे...

पाँच बेटिया है कोई बेटा नही है मुझे एक बेटे की जरूरत थी इस कारण मैने यह लडका खरीदने की बात इन लोगो से की थी क्योकि अनिल व रोबिनसन पूर्व से मेरे परिचित है। अभियुक्ता श्रीमती सोनी परवीन से कडाई से म0उ0नि0 सोनम से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने खुद ही अपने बच्चे मौ0 अर्श का सौदा पचास हजार रूपये मे रोबिन व अनिल से किया था इन लोगो ने मुझे बताया था कि बच्चा हमे आगे बेचना है पैसे बच्चा विकने के बाद ही आपको देगें, मैने पुलिस को गुमराह कर यह बात छुपायी थी और बच्चे के अपहरण का मुकदमा लिखवा दिया था।

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

मु0अ0सं0 26/2025 धारा 137(2)/143(4)/97/61/217 बीएऩएस व धारा 81 बालको का संरक्षण अधिनियम थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-

1-श्री विजेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
2-श्री जयदेव सिंह निरीक्षक अपराध थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
3-श्री अमित कुमार एसओजी प्रभारी मय एसओजी टीम जनपद मुरादाबाद।
4-श्री रविन्द्र कुमार उ0नि0 थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
5-श्री लईक अहमद उ0नि0 थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
6-श्री विनीत कुमार उ0नि0 थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
7-श्री कार्तिक सिंह उ0नि0 थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
8-सोनम म0उ0नि0 थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
9-का0 सुमन्त गिरी थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
10-का0 शुभम मावी थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
11-म0का0 हिना माधवी थाना काँठ जनपद मुरादाबाद।
12-हे0का0 अनिल कुमार मय सर्विलांस टीम जनपद मुरादाबाद।

7-ऑनलाइन ठगी के (शत-प्रतिशत) 51,229/- रुपये साइबर सेल जनपद मुरादाबाद ने कराए वापस।

अवगत कराना है कि

1-दिनांक 11.01.2025 को आवेदक शिवम सागर पुत्र हरग्यान सिंह निवासी मुरादाबाद से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लिंक भेजकर उनके क्रेडिट कार्ड से 42,229 रूपये की ठगी की गई।

2- आवेदक मौ0 अनस निवासी असालतपुरा कटा बाग जनपद मुरादाबाद से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका रिश्तेदार बनकर 9,000/- रूपये ट्रासफर करा लिये गये। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से की गयी।

साइबर क्राईम सेल जनपद मुरादाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते से गया सम्पूर्ण पैसा पीड़ित के खातों में वापस कराया गया। पीडित व्यक्तियों के खाते से गया पैसा मिलने पर उनके द्वारा उच्चाधिकारियों व साइबर सेल मुरादाबाद की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

1-शिवम सागर पुत्र हरग्यान सिंह - 42,229/- रुपये (Full Recover)
2-मौ0 अनस निवासी असालतपुरा कटा बाग - 9,000/- रुपये (Full Recover)

" जागरुक रहिये सुरक्षित रहिये "